राजस्थान सरकार

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

**पीठासीन अधिकारी—श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या— 2019/00026
जी0सी0एम0एस0 संख्या— 57/2019
दायर दिनांक— 05.11.2019
निर्णय दिनांक— 27.12.2023

1. धापू पत्नि गोविन्दराम
2. घनश्याम दत्तक पुत्र गोविन्दराम
   सर्वजाति बावरी, सर्वनिवासी करकेड़ी तहसील रूपनगढ़

.....प्रार्थीगण

**बनाम**

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर

....अप्रार्थी

**प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थिति—:1. श्री शांतिलाल ढ़ेल, अधि0 प्रार्थीगण
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपगनढ़

**—:निर्णयः—**

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। ग्राम करकेड़ी पटवार हल्का करकेड़ी, तहसील रूपनगढ़ के ख0न0 166/1 रकबा 15 बीघा भूमि अवस्थित है,। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने पति/पिता गोविन्दराम पुत्र रामबक्ष जाति बावरी ने दिनांक 06.06.1981 को जरिये विक्रय विलेख पत्र के खातेदार गंगाराम पुत्र रामलाल बावरी निवासी ग्राम करकेड़ी से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। क्रय दिनांक से प्रार्थीगण के पति/पिता गोविन्दराम वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उनके देहान्त पश्चात प्रार्थीगण भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण का वर्णित भूमि पर सतत् निरन्तर अधिकार पूर्वक आधिपत्य में चले आ रहे है। जिसकी पुष्टि पटवार हल्का व भू—अभिलेख निरीक्षक करकेड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व मौका पर्चा दिनांक 18.10.2018 से सिद्ध होता है। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में खाता संख्या 1 में राजस्थान सरकार के खाते में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है। वर्तमान ख0न0 166/1 की भूमि सम्वत् 2022 से 2025 तक की खतौनी बन्दोबस्त में सप्तऋषि ब्राह्मण के नाम से गलत रूप से इन्द्राज किया हुआ था। संवत् 2020 से 2025 की जमाबंदी में ख0न0 166/1 भूमि केसरा पुत्र बुद्धा जाति बावरी को उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ के आदेश क्रमांक 279—299 दिनांक 28.12.1970 की लिस्ट आवंटन मूल क्रम संख्या 9 पर दर्ज ख0न0 166 में 15 बीघा भूमि आवंटन होने का इन्द्राज दर्ज है। इसी जमाबन्दी में नामान्तरकरण संख्या 166 से मृतक केसरा के स्थान पर गंगाराम पुत्र रामलाल जो कि केसरा का भतीजा है, उसके नाम नामान्तरकरण दर्ज होने का इन्द्राज अंकित किया गया है। सम्वत् [illegible] गिरदावरी में केसरा पुत्र बुद्धा का नाम बतौर काश्तकार के रूप में दर्ज है।इ[illegible] संवत् 2020 के एकीकरण की जमाबंदी में गलत रूप से सप्तऋषि [illegible] हुआ था जबकि कब्जा केसरा पुत्र बुद्धा का चला आ रहा है। सम्वत् 2022 से 2025 की [illegible] में सप्तऋषि ब्राह[illegible] नाम से दर्ज खाता संख्या 212/207 सम्पूर्ण [illegible] कर दिये जाने का [illegible] का अंकन है। ख0न0 166/1 रकबा 15 बीघा भूमि आवंटन [illegible] हेतु प्रपत्र संख्या 4 [illegible] पुत्र बुद्धा के नाम भरा गया था तथा केसरा पुत्र बुद्धा की मृत्यु प्श्चात उसके वारिस उसके भतीजे गंगाराम पुत्र रामपाल के नाम विरासत नामान्तरकरण दर्ज किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 15:42:59 IST
Reason: SelfAttested

23/12/23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

गंगाराम पुत्र रामपाल बावरी ने बतौर खातेदार काश्तकार वादी के पति/पिता गोविन्दराम पुत्र रामबक्ष को भूमि का विक्रय कर दिया। तब से प्रार्थीगण उक्त भूमि पर अपने पिता/पिता के माध्यम से बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे है। सप्तऋषि ब्राह्मण के नाम का खाता सम्पूर्ण बिलानाम दर्ज करने के आदेश हो जाने तथा आदेश का अंकन सम्वत् 2022 से 2025 की जमाबन्दी में कर दिये जाने के बावजूद भी गलत रूप से सप्तऋषि ब्राह्मण का नाम का इन्द्राज जमाबन्दियों में बदस्तूर जारी रहा। राज्य सरकार द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां गलत इन्द्राज को हटाये जाने बाबत् व भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने बाबत् एक वाद माननीय न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार बनाम सप्तऋषि ब्राह्मण के उनवान से राजस्व वाद संख्या 88/2012 प्रस्तुत जिसका माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2018 को निर्णय कर भूमि को सिवायचक दर्ज किया जो भूमि खसरा नम्बर 166/1 सिवायचक भूमि के रूप में खाता संख्या 1 में दर्ज है। वाद वर्णित भूमि पर सतत् निरन्तर 40 वर्षो से अधिक समय से अधिकारस्वरूप आधिपत्य चला आ रहा है। 50–60 वर्षो से भूमि पर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता को विक्रय करने वाले विकेता व आवंटी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। भूमि के एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार काश्तकार हो चुके है। प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। प्रार्थीगण का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भूमि पर स्वत्व अधिकार, आधिपत्य परिपक्व होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार प्रार्थीगण विधि प्रभाव से खातेदार बन चुके है। वाद वर्णित भूमि का गलत रूप से अप्रार्थी के खातेदारी में अंकन के स्थान पर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीगण के खातेदार हो जाने तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण के खातेदार काश्तकार घोषित करने की घोषणात्मक डिक्री प्रार्थीगण के पक्ष में पारित की जानी चाहिए तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से प्रकरण में जवाब प्राप्त। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम करकेड़ी की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 जमाबन्दी 2075( वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 01 में ख0न0 166/1 (नवीन ख0न0 166) रकबा 15–00 बीघा राजकीय खाते में सिवायचक दर्ज है। ग्राम करकेड़ी के खाता संख्या 01 में ख0न0 166/1 (नवीन ख0न0 166) रकबा 15–00 भूमि सिवायचक दर्ज होने के किसी प्रकार का अतिक्रमण हटाने हेतु पैरोकार सरकार स्वतंत्र है। अतः प्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जावें। प्रकरण में वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक, हिस्सा नहीं बनता है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करने, उपयोग–उपभोग में बाधाकारित नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार तहसीलदार) ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र को अपनी बहस मानने हेतु निवेदन किया। पैरोकार सरकार ने बताया कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक भूमि है तथा इससे राजहित प्रभावित होता है। प्रार्थीगण अनाधिकृत रूप से इस भूमि पर काबिज होना चाहते है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र को भारी हर्जाने से खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 16:42:59 IST
Reason: Self Attested

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रकरण में वादग्रस्त आराजी सिवायचक है जिससे राजहित भी प्रभावित हो रहा है। प्रार्थीगण के पास ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य भी नहीं है जिससे उनका खातेदारी अधिकार सिद्ध हो सके। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होते है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

23/12/23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

सुखाराम पिण्डेल
रूपनगढ़ (आरएएस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 15:42:59 IST
Reason: SelfAttested